

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारी:-

सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.- 110/2022

GCMS नम्बर :- 2022/.

निर्णय दिनांक:- 23-05-2022

सहजादसिंह पुत्र बगडावतसिंह जाति राजपुत निवासी पचेरी कलां
बनाम

तहसीलदार बुहाना

दावा बाबत - नक्शा दुरुस्ती एवं धोषणात्मक

वादी की स्वयं की उपस्थिति में व प्रतिवादी तहसीलदार बुहाना की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23-05-2022 को श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

“वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम पचेरी कलां तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0) स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 563 व खसरा नम्बर 565 भूमि का मुताबिक लट्ठाशीट (प्रदर्श-अ) के अनुसार DILRMP शीट में तरमिम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।”

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 23-05-2022 को प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 फोलोअप कैम्प पचेरी कलां के मजमे आम में सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)

उपखण्ड अधिकारी एवं
एवं पदेम देना सहायक कलेक्टर, बुहाना
बुहाना जिला-झुन्झुनू (राज.)

